

09/3/2021

पत्रावली पेश हुई वकील वाही उपा पत्रावली
द्वारा आदेशानुसार दिनांक 16/3/2021 को पेश
हो।

16/3/2021

malankar

पत्रावली पेश हुई वकील वाही उपा वरसे
पेश होने जवाब श्रुमिधारी तहसीलदार
खण्डेला पत्रावली दिनांक 18/3/2021 को
पेश हो।

18/3/21

पत्रावली को हुई। बकुलाय पारिकर
उप./अनुमति प्राप्त अधिकारी को
/अन्य उपा में अस्त पत्रावली अंतिम
कार्यवाही हेतु दिनांक 30/3/2021
को पेश हो।

30/3/2021



पत्रावली पेश हुई वकील वाही उपा श्रुमिधारी
तहसीलदार खण्डेला का जवाब गत कई
पेशियों से लम्बित है लेकिन आदिनांक
तक जवाब भुगत। अतः श्रुमिधारी तहसीलदार
खण्डेला का जवाब बन्द किया जा रहा है।
तत्पश्चात प्रकरण में बहस वकील वाही
शुनी गयी। करवस्त बहस वकील वाही ने
अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते
हुए मूकविकृत अतुल्य दावा डिक्री फरमाने
जाने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध शपथ
रिकार्ड, दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया
जाया एवं बहस वकील वाहीगण पर संतोरा

मनन किया गया। - धूमि वाडिया के समस्त दस्तावेजों तथा रेशन कार्ड, आधार कार्ड, आदि में वाडिया का नाम अर्चना ही दर्ज है। सरपंच ग्रां पं ठीकरिया ने अप भी प्रमाण पत्र जारी कर आंची देवी व अर्चना देवी एक ही औरत होना अंकित किया है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मध्यमजर वाद, वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि :-

आदेश

तन ग्रांम ठीकरिया पं ह ठीकरिया तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०) अवस्थित सुवि भूमि खं नं० 10, 11, 1187/22, 1188/22, 1189/23, 1190/23, 1191/27, 1192/27, 1193/29, 1194/29, 1195/30, 1196/30, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 9, 1, 15, 16 के राजस्व रिकार्ड में वाडिया का गलत दर्ज नाम "आची पुत्री सागर" के स्थान पर वास्तविक, सही व सम्मानजनक नाम "अर्चना देवी पुत्री सागरमल" दुरुस्त किया जाता है। उस्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरमद हो। तदनुसार प्रकरण में पर्चा डिडी जारी हो। पत्रावली कैसल शुमार होकर क्रम से कम हो तथा बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30/3/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकेश कुमार)
RAB
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला